

रजिस्ट्रेशन संख्या :- R.N.I. 36355/79

डाक पंजीकरण संख्या :- के० पी० सिटी -67/2024-26

चिकित्सा-विज्ञान और प्रौद्योगिक जगत में
सर्वाधिक प्रकाशित होने वाला निष्पक्ष समाचार पत्र

पाक्षिक

इलेक्ट्रो होम्यो मेडिकल गज़ट

अधिकार किसको जानने के लिए भारत सरकार की वेबसाइट www.dhr.gov.in लॉगिन कर क्लिक करें अल्टरनेटिव मेडिसिन तथा गजट पढ़ने हेतु log.in करें www.behm.org.in




पत्र व्यवहार हेतु पता :- सम्पादक
इलेक्ट्रो होम्यो मेडिकल गज़ट
127/204 'एस' जूही, कानपुर-208014
सम्पर्क सूत्र :- 9450153215 , 9415074806 , 9415486103

वर्ष - 46 • अंक - 02 • कानपुर 16 से 31 जनवरी 2024 • प्रधान सम्पादक - डा० एम० एच० इदरीसी • वार्षिक मूल्य ₹ 100

इलेक्ट्रो होम्योपैथी के अब आ गये अच्छे दिन 5 वर्षों से हो रही प्रतीक्षा शीघ्र होगी समाप्त

राजस्थान इलेक्ट्रो होम्योपैथिक चिकित्सा परिषद द्वारा आयोजित सेमिनार जो राजस्थान इंटरनेशनल सेन्टर में आयोजित किया गया के मुख्य अतिथि महामहिम उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनकड़ जी ने कहा कि अब राजस्थान के साथ ही इलेक्ट्रो होम्योपैथी के भी अच्छे दिन आ गये हैं, उन्होंने इलेक्ट्रो होम्योपैथी से जुड़े वर्षों से संस्मरण भी सुनाये और उन्होंने इलेक्ट्रो होम्योपैथी के विकास में जुड़े हुये अनेकों राजनेताओं सहित समाजसेवियों का भी अपने उदबोधन में उल्लेख किया उन्होंने आयोजन के प्रमुख तथा राजस्थान इलेक्ट्रो होम्योपैथी परिषद के अध्यक्ष डा० हेमन्त सेठिया का विशेष रूप से उल्लेख किया उन्होंने मंच पर विराजमान राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री मजन लाल शर्मा



जयपुर राजस्थान में भारत के उपराष्ट्रपति माननीय जगदीप धनकड़ इलेक्ट्रो होम्योपैथी के मंच से सम्बोधित करते हुये

की ओर इशारा करते हुये अपेक्षा की कि वर्ष 2018 में पारित इलेक्ट्रो होम्योपैथी मान्यता का विधेयक को अब पूर्णतः मिल जाना चाहिये जिससे इलेक्ट्रो होम्योपैथिक चिकित्सकों सहित डा० हेमन्त सेठिया के प्रयासों को पूर्णतः प्राप्त होगी, माननीय मुख्यमंत्री राजस्थान ने सिर हिलाते हुये अपनी सहमति व्यक्त की, इस अवसर पर उन्होंने उपस्थित जनों का नाम के साथ उल्लेख किया, महामहिम ने माननीय उप मुख्यमंत्री का विशेष उल्लेख किया जो सरकार में स्वास्थ्य विभाग के प्रमुख भी हैं उनकी कर्मठता का एक संस्मरण भी सुनाया जिससे ऐसा प्रतीत होता है कि महामहिम को पूर्ण विश्वास है कि माननीय उप मुख्यमंत्री इलेक्ट्रो होम्योपैथी बिल को पूर्णतः प्रदान कराने में उनकी

शेष पेज 2 पर

बोर्ड ऑफ इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिसिन, उ०प्र० के

आडिटोरियम में महात्मा मैटी का जन्म दिवस धूम- धाम से सम्पन्न

हमने समय का हर पल इलेक्ट्रो होम्योपैथी के विकास के लिये दिया-डा० इदरीसी

इलेक्ट्रो होम्योपैथी चिकित्सकों के मध्य व्याप्त भ्रान्तियां अनिश्चितता के चलते समाप्त नहीं हो पा रही हैं फलस्वरूप हमारा चिकित्सक पूरी क्षमता के साथ चिकित्सा व्यवसाय मन लगाकर नहीं कर पा रहा है इलेक्ट्रो होम्योपैथी से कार्य करने एवं अनुसंधान करने के लिए प्रदेश सरकार ने 4 जनवरी, 2012 को शासनादेश जारी कर एक नई दिशा प्रदान की थी, जैसे ही यह शासनादेश जारी हुआ पूरे प्रदेश का इलेक्ट्रो होम्योपैथ हर्ष से झूम उठा हर एक के मन में एक नई उमंग थी सबके सब यही कह रहे थे कि अब उत्तर प्रदेश में इलेक्ट्रो होम्योपैथी को शासकीय संरक्षण प्राप्त हो गया है, हमें भी काम करने का वही अवसर मिला है जो अन्य मान्यता प्राप्त चिकित्सा पद्धतियों को प्राप्त है।

मात्र चिकित्सक ही नहीं इलेक्ट्रो होम्योपैथी के छात्रों एवं



इस विधा के समर्थकों के बीच भी खूशी की लहर दौड़ गयी थी, जो लोग हमसे जुड़े थे उन्होंने भी प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि चलो ठीक हुआ बहुत दिनों से लगे थे सरकार ने सुन ली, यह सब कुछ तो ठीक था लेकिन जब हमारे चिकित्सक अधिकार के साथ अधिकारिता मांगने लगे तो अधिकारियों का रुख बदल गया, अधिकारियों ने कहा कि शासनादेश तो हुआ है लेकिन इसका अनुपालन हम तभी करेंगे जब हमारे उच्च अधिकारी अर्थात् महानिदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवार्थ उ०प्र० हमें निर्देशित करेंगे व 4 जनवरी, 2012 के आदेश के अनुपालन के लिए हमें आदेशित करेंगे, यह सूचनायें जैसे ही बोर्ड के पास पहुँचीं बोर्ड ने पूरे प्रयास के साथ महानिदेशक से सम्पर्क साधा तथा निवेदन किया कि वह

शेष पेज 4 पर

नाकारात्मक प्रयास



इलेक्ट्रो होम्योपैथी की मान्यता देने के लिए सरकार ने लगभग 73 वर्ष पूर्व ही आश्वासन दे दिया था यह सिलसिला लगातार जारी रहा कई बार सकारात्मक परिवर्तन भी आया लेकिन सरकार का आश्वासन लगातार जारी रहा, सन 1956 व 1975 में कुछ परिवर्तन की दिशा बनी सन 1981 एवं 1982 में इलेक्ट्रो होम्योपैथी का रास्ता बिल्कुल अलग हो गया और यहीं से इलेक्ट्रो होम्योपैथी ने जोर पकड़ा जिसके परिणाम में 1984 भारत सरकार को अपने फैसले पर संतोष करना पड़ा।

इलेक्ट्रो होम्योपैथी की मान्यता देने के मामले में सरकार का अश्वासन उसे सही लगा और सरकार ने लगातार इसे आगे बढ़ाया सन 1988, 1991 एवं 1993 में उसके द्वारा जो आदेश जारी किये गये वह इलेक्ट्रो होम्योपैथी में मील का पत्थर साबित हुए लेकिन हमारा दुर्भाग्य यह रहा कि हम सरकार की सकारात्मक पहल के मुकामले बराबर नकारात्मक प्रयास करते रहे, सरकार का ही सहयोग नहीं बल्कि माननीय न्यायालयों का भी भरपूर सहयोग हमें मिलता रहा सन 1998 एवं सन 2000 में भी माननीय न्यायालयों के निर्देशानुसार 2003 में इलेक्ट्रो होम्योपैथी के लिए एक स्पष्ट दिशा निर्देश सरकार द्वारा जारी किया गया हमने वहां भी नकारात्मक सोच उत्पन्न की और स्पष्ट आदेश को भी नहीं समझ सके हमने उसे नकारात्मक सोचते हुए सरकार द्वारा इलेक्ट्रो होम्योपैथी को बन्द मान लिया।

पूरे भारत की शीर्ष संस्थाओं तथा इलेक्ट्रो होम्योपैथी के बड़े-बड़े नेता एक ही लाइन में बल पड़े पूरे भारत में केवल बोर्ड ऑफ इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिसिन, उ०प्र० ने सकारात्मक सोच के साथ कहा कि इस आदेश से इलेक्ट्रो होम्योपैथी बन्द नहीं हो रही और न ही सरकार की बन्द करने की मंशा है, यह नकारात्मक सोच जब लोगों की समाप्त हुई, जब सन 2010 में केन्द्र सरकार ने स्पष्ट किया कि इलेक्ट्रो होम्योपैथी बन्द नहीं है, इस आदेश के आने के बाद भी लोग नहीं समझ सके तो इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिकल एसोसिएशन ऑफ इण्डिया ने पहल करते हुए भारत सरकार से लिखा पढ़ी की इसका परिणाम यह हुआ कि भारत सरकार ने इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिकल एसोसिएशन ऑफ इण्डिया को दिनांक 21 जून, 2011 को स्पष्ट करते सभी राज्यों एवं केन्द्र शासित प्रदेशों को निर्देशित किया कि वह भारत सरकार के आदेश 25-11-2003 तथा 5-5-2010 को केन्द्र सरकार का निर्देश मानें, तमाम उत्तर चढ़ाव व शासकीय व वैधानिक अड़चनों से लड़ते हुये आखिरकार 4 जनवरी, 2012 को प्रदेश सरकार ने बोर्ड ऑफ इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिसिन उ०प्र० को विधि सम्मत ढंग से संचालित किये जाने वाले कार्य पर सहमति की मुहर लगाते हुये बोर्ड के पक्ष में शासनादेश जारी किया।

भारत सरकार ने इलेक्ट्रो होम्योपैथी को मान्यता देने के लिए एक बार फिर एक नोटिस जारी करते हुए सभी सम्बद्ध पक्षों से प्रस्ताव मांगे जिसमें सरकार ने स्पष्ट किया कि सरकार इलेक्ट्रो होम्योपैथी को मान्यता देना चाहती है, उसी नोटिस में यह भी आभास कराया कि सरकार अपनी ओर से कोर्स का चयन करते हुए निवामक का चयन भी कर सकती है।

देश की अनेक संस्थाओं ने नोटिस के भाव को फिर से नकारात्मक सोचते हुए मनमाने ढंग से "प्रपोजल" सरकार को प्रेषित किये यहां तक एक एक संस्था ने कई कई नामों से प्रपोजल प्रेषित किये जो नकारात्मक सोच का प्रतीक है, ज्ञात सूत्रों के अनुसार प्रथम चरण में 21 तथा दूसरे चरण में 6 प्रपोजल कुल 27 प्रपोजल, अन्तिम चरण में 29 प्रपोजल कर्ताओं को वार्ता हेतु आमंत्रित किया, प्रारम्भिक चर्चा के बाद उन्हें पुनः निर्देश दिये गये कि नोटिस में दिये गये बिन्दुओं के अनुसार ही एक संयुक्त प्रपोजल प्रस्तुत किया जाये, नकारात्मक सोच का ही परिणाम यह रहा कि प्रपोजल तो संयुक्त रूप से सरकार को प्रेषित किया गया लेकिन उनमें उन्हीं लोगों का नाम सम्मिलित किया गया जो उनके प्रिय थे या फिर उनके जैसे मत वाले थे या उनको अपने नाम से कुछ पाने के लिए बड़ी जल्दी है या फिर वह यह दिखाना चाहते हैं कि वह ही अयुवाकार हैं।

संयुक्त प्रपोजल में कुछ ऐसे लोगों का नाम सम्मिलित किया गया जिन्होंने पूर्व में प्रपोजल दिये ही नहीं थे, उनके नामों पर सरकार द्वारा प्रश्नचिह्न खड़ा किया गया ? नकारात्मक सोच के कारण ही कुछ संस्थाओं को छोड़ दिया गया किन्तु सरकार ने अपनी सकारात्मक सोच को दिखाते हुए जिन संस्थाओं को छोड़ा गया उनके बारे में भी पुनः जानकारी चाही गयी है।

संयुक्त प्रपोजल कर्ताओं को चाहिये कि वह अपनी नकारात्मक सोच को छोड़ कर सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ें और अब कोई ऐसी गतिविधि सरकार के सामने न प्रकट करें जिससे इलेक्ट्रो होम्योपैथी को कोई नुकसान हो।

औषधि निर्माण की बहुलता

कहीं खतरों की घण्टी तो नहीं

किरी भी चिकित्सा पद्धति के विकास की कल्पना उसकी औषधियों की खपत पर निर्भर करती है क्योंकि औषधियों का प्रयोग जितना अधिक होगा जनता तक उस पद्धति की पहुँच उतनी ही होगी, कारण औषधि और उसके गुण से ही पद्धति की उपयोगिता सिद्ध होती है जितनी चिकित्सा पद्धतियाँ वर्तमान में प्रचलित हैं उन सभी के पीछे उनकी गुणवत्ता है गुणवत्तायुक्त औषधियाँ जब रोगी व्यवहार में लाता है और उससे लाभ प्राप्त करता है तब निश्चित रूप से रोगी स्वयं और उससे जुड़े व्यक्ति उस पद्धति से प्रभावित होते हैं और जिसका परिणाम यह होता है कि उस चिकित्सा पद्धति का जनआधार बढ़ता है और जन समान्य के बीच उस चिकित्सा पद्धति की लोकप्रियता बढ़ती है जिसका सीधा लाभ चिकित्सकों के साथ साथ औषधि निर्माताओं को भी मिलता है।

इलेक्ट्रो होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति डेढ़ सौ वर्षों से इस देश में प्रचलित है वर्तमान में लाखों की संख्या में इलेक्ट्रो होम्योपैथी के चिकित्सक चिकित्सा कार्य कर रहे हैं और पूरा प्रयास कर रहे हैं कि इलेक्ट्रो होम्योपैथी जन-जन तक पहुँचे, औषधियों की जो समस्या आज से 10 वर्ष पूर्व थी वह पूरी तरह समाप्त हो चुकी है मात्र एक या दो कम्पनियों पर आश्रय की स्थिति समाप्त हो चुकी है यह अच्छी बात है, चिकित्सकों तक औषधियाँ पहुँच रही हैं हर दवा निर्माता अपनी औषधियों को सर्वश्रेष्ठ होने का दावा करती हैं हमारी इन दवा निर्माण इकाइयों ने समय और माँग के अनुरूप औषधियों के स्वरूप में परिवर्तन भी किया है पारम्परिक औषधियों के साथ पेटेंट औषधियों का निर्माण भी किया गया है, रोगी औषधियों को असानी से व्यवहार में ला

सके इस उद्देश्य से टेबलेट व कैप्सूल फार्म में भी औषधियाँ लाई गयी हैं जिससे की रोगी आसानी से इन औषधियों को प्रयोग में ले लेता है, पूरे देश में वर्तमान में लगभग दो सैकड़ा से ज्यादा इलेक्ट्रो होम्योपैथिक औषधि निर्माण इकाईयाँ स्थापित की जा चुकी हैं और हर कम्पनी का दावा है कि वह माँग और पूर्ति का संतुलन बनाये हुए हैं, यह सब सुनकर मन प्रसन्न होता है कि जो लोग कहते थे कि इलेक्ट्रो होम्योपैथी संस्थाओं ने डा० तो बना दिये लेकिन प्रैक्टिशनर नहीं तैयार किये औषधियों की वह खपत उन लोगों के प्रश्न का स्वयं उत्तर है।

जिस ढंग से औषधियाँ बन रही हैं और उनकी माँग बढ़ रही है वह इलेक्ट्रो होम्योपैथी की प्रगति की कहानी स्वयं कह रही है प्रगति करना बहुत अच्छी बात है लेकिन प्रगति के लिए कोई ऐसा रास्ता नहीं अपनाना चाहिये जो कि आगे चलकर कोई नया संकट खड़ा कर दे, पूरे देश में जिस तेजी के साथ इलेक्ट्रो होम्योपैथी औषधियों के निर्माण की इकाईयाँ लगायी जा रही हैं वह एक नये संकट का तात्पर्य यह है कि वर्तमान में इलेक्ट्रो होम्योपैथी की औषधियों के निर्माण के लिए केन्द्र या राज्य सरकार द्वारा कोई भी निगरानी इकाई गठित नहीं की गयी है जिसके कारण इलेक्ट्रो होम्योपैथी को किसी तरह का कोई लाइसेंस सरकार की तरफ से जारी नहीं किया जा रहा और न ही कोई औषधि निर्माण के लिए सरकारी मानक या सरकारी गाइड लाइन जारी की गयी है, इसके अभाव में हमारे औषधि निर्माता मनमानी कर रहे हैं न मानकों का मय, न लाइसेंस की विन्ता, बेधड़क काम जारी है, इलेक्ट्रो होम्योपैथी के लिए जर्मन होम्योपैथिक फार्माकोपिया ही आधार है इसी फार्माकोपिया में इलेक्ट्रो

होम्योपैथी औषधियों के निर्माण की विधि संरक्षित है, दूसरे शब्दों में जर्मन फार्माकोपिया ही आधार है, भारत वर्ष में इलेक्ट्रो होम्योपैथी के लिए कोई अधिकारिक फार्माकोपिया नहीं है, पिछले वर्षों में एक फार्माकोपिया बाजार में लायी गयी थी जिसे भी बड़ी चतुराई से प्रस्तावित फार्माकोपिया का नाम दिया गया था, पुरानी कहावत है कि अति का अन्त होता है जिस प्रकार से अत्याधिक काउन्सिलों और बोर्डों ने इलेक्ट्रो होम्योपैथी का बंटवारा किया था ठीक उसी प्रकार से आज औषधि के क्षेत्र में भी अतिरेकता के दर्शन हो रहे हैं। जो किसी भी तरह से उचित नहीं है डा० मैट्टी द्वारा प्रतिपादित औषधि निर्माण विधि का खुल्लम खुल्ला मखौल उड़ाया जा रहा है पीछों के साथ भी छेड़ छाड़ की जा रही है कुछ इलेक्ट्रो होम्योपैथी के स्वनिर्मित वैज्ञानिक हर पीछे का विकल्प तैयार करने की बात करते हैं और इन्हीं विकल्प पीछों से गुणवत्तायुक्त औषधि निर्माण का दावा करते हैं विकास के लिए नये प्रयोग हों यह अच्छी बात है लेकिन आधार को ही छोड़ दें तब तो नया निर्माण होता है, पुराना कहीं रहता है ! यदि सभी 113-115 पीछों का विकल्प तैयार हो जायेगा तो ऐसी औषधियाँ इलेक्ट्रो होम्योपैथी पद्धति की नहीं किसी अन्य पद्धति का नाम ले सकती हैं अनुसंधान पुराने को हटाकर नया लाने की बात नहीं करता है बल्कि पुराने के रहते हुए नये में अधिक सम्भावनाओं की तलाश करता है यह जो समय सिद्ध करता है कि जो चीज उपयोगी है वही स्थिर रहती है अस्तु समय रहते हम सबको इस विषय पर गम्भीरता से विचार करना होगा कि औषधि निर्माण के क्षेत्र में नवी घमाचीकड़ी को कैसे रोका जाये ? लोगों को औषधियाँ भी मिलती रहें और चिकित्सा पद्धति का नुकसान भी न हो।

इलेक्ट्रो होम्योपैथी के अब आ गये अच्छे दिन प्रथम पेज से आगे

आशाओं के अनुरूप सफल होंगे, सूत्रों के अनुसार उपमुख्य मंत्री श्री प्रेम चन्द बैरवा, राजस्थान इलेक्ट्रो होम्योपैथी विकास संस्था के अध्यक्ष डा० किशन रसावत सहित संस्था के सदस्यों को जो मैट्टी जवती पर उनके आवास पर सम्मानित करने गये थे उनको उन्होंने तभी आश्वासन दे दिया कि वह इलेक्ट्रो होम्योपैथी का बिल जो शासन में अभी तक लाम्बित है को शीघ्रता शीघ्र क्रियान्वित करने के आदेश जारी करेंगे।

विश्व इलेक्ट्रो होम्योपैथी दिवस के अवसर पर आयोजित सेमिनार की पूर्व संध्या पर उपमुख्य मंत्री माननीय श्री प्रेम चन्द बैरवा जी के साथ राजस्थान इन्टरनेशनल सेन्टर में आयोजित इलेक्ट्रो होम्योपैथिक प्रदर्शनी का सांसद श्री राम चरण बोहरा ने प्रदर्शनी का शुभारम्भ किया इस अवसर पर जयपुर सह प्राप्त संचालक श्री हेमन्त सोडिया, श्री प्रताप भानु शेखावत सहित अन्य गणमान्य लोगों ने अपनी उपस्थिति दर्ज करायी, प्रदर्शनी में इलेक्ट्रो होम्योपैथी से सम्बन्धित अनेक प्राचीन एवं नवीन साहित्य का प्रदर्शन किया गया जो उपरिथत दर्शकों के ज्ञान के लिये बहुत लाभकारी रहा।

पूरे देश ने मनाया मैटी का 215 वाँ जन्मोत्सव

रायबरेली— इलेक्ट्रो होम्योपैथिक के आविष्कारक डा० कार्ट सौजर मैटी का 215वां जन्मदिवस आशीष इलेक्ट्रो होम्योपैथी इन्स्टीट्यूट छजलापुर, रायबरेली में धूमधाम से मनाया गया उपस्थित चिकित्सकों ने उनके चित्र पर पुष्प माला चढ़ाकर श्रद्धासुमन अर्पित किये। उक्त अवसर पर इन्स्टीट्यूट के प्राचार्य डा० पी० एन० कुशवाहा ने कहा कि डा० मैटी का जन्म 11 जनवरी 1809 को इटली के बोलेगना में जमींदार परिवार में हुआ था उनकी शिक्षा दीक्षा उच्च कोटि की होने के कारण दलितों एवं गरीबों से अगाध प्रेम था उन्होंने सन् 1895 में दक्षिण भारत के मंगलूर में ही फादर मूल स्थापित कुष्ठ अस्पताल निर्माण में कुल लागत का 7705 रुपये में से 2995 रुपये दान के रूप में दिया था जिसका पत्थर आज भी लगा है। उक्त अवसर पर डा० रमेश कुमार द्विवेदी ने कहा कि डा० मैटी ने अपने जल्मी पालतू कुत्ते से जितने जंगली पतियों को चबाकर व उस पर लोट पोट करके अपने जल्मी को ठीक किया जिसे देखकर डा० मैटी ने पेड़ पौधों की जड़ों व पत्तियों के अर्क से इलेक्ट्रो होम्योपैथी को जन्म दिया जो आज उक्त पैथी का विश्व में प्रचार प्रसार हो गया है इन्होंने चिकित्सा जगत में ऐलोपैथिक, आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक व यूनानी पद्धति के बाद पांचवी पैथी इलेक्ट्रो होम्योपैथी को जन्म दिया जिसका मानव जीवन पर कोई साइड इफेक्ट नहीं पड़ता है, उक्त अवसर पर डा० त्रिलोक सिंह, डा० राम विशाल मौर्य, डा० सोमनाथ, सत्य पाल वर्मा,

डा० राम आसरे, डा० अश्वनी बाबू आदि चिकित्सकों ने अपने विचार व्यक्त किये उक्त कार्यक्रम की अध्यक्षता रामदीन विश्वकर्मा ने की।
हमीरपुर— इलेक्ट्रो होम्योपैथिक के आविष्कारक डा० कार्ट सौजर मैटी का 215 वां जन्मदिवस जिला प्रमारी ई० एच० डा० गणेश सिंह की अध्यक्षता में दीप प्रज्वलित कर एवं केक काटकर इलेक्ट्रो होम्योपैथिक धर्मार्थ चिकित्सालय पटकाना हमीरपुर में धूमधाम से मनाया गया, कार्यक्रम में बुन्देलखण्ड प्रमारी ई० एच० डा० नरेन्द्र मृगुण निगम ने कहा कि इलेक्ट्रो होम्योपैथी की चिकित्सा व इलेक्ट्रो

होम्योपैथी की औषधियों द्वारा जनमानस को लगातार 33 वर्षों से पटकाना में स्थित इलेक्ट्रो होम्योपैथिक धर्मार्थ चिकित्सालय द्वारा निशुल्क दी जा रही है जहां पर दूर दराज से असाध्य रोगी आकर अपना इलाज करवा रहे हैं और उनके हस्त प्रतिशत सफलता मिल रही है, स्वाती खरे ने बताया कि इलेक्ट्रो होम्योपैथिक धर्मार्थ चिकित्सालय में सबसे ज्यादा पी० सी० ओ० डी० व बच्चेदानी में गांठ एवं रक्त अल्पता से पीड़ित महिलाएं व बीस से पचीस वर्ष की युवतियां इलाज हेतु प्रतिदिन आया करती हैं, प्रदेश में शासन द्वारा

अधिकृत संस्था बोर्ड ऑफ इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिसिन, उ०प्र० लखनऊ ही है जिसके द्वारा पंजीकृत चिकित्सक इलेक्ट्रो होम्योपैथी की औषधियों द्वारा चिकित्सा करने के लिए अधिकृत है, कार्यक्रम में डा० विभाशा, डा० रजनीश खरे, डा० चन्द्रमूषण, डा० नमता, अंश निगम, गोविन्द सिंह, विनोद शुक्ला, मंडेंद्र राजपूत, प्रवीण नामदेव आदि लोगों ने भाग लिया।
हाथरस— इलेक्ट्रो होम्योपैथी के जन्मदाता डा० कार्ट सौजर मैटी का 215 वां जन्मदिवस दिनांक 11 जनवरी, 2024 को जिला इलेक्ट्रो

होम्योपैथिक कार्यालय विवेक क्लीनिक आगरा रोड सादाबाद हाथरस में बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया गया, समारोह के मुख्य अतिथि बोर्ड ऑफ इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिसिन, उ०प्र० के प्रवक्ता डा० एस० के० पाल मौजूद थे, प्रमारी अधिकारी ई० एच० डा० नेम सिंह ने समारोह को सम्बोधित करते हुए कहा कि सन् 1809 ई० एच० डा० अपना जिला पंजीयन अवश्य करवाये अथवा शासन प्रशासन द्वारा की गई कार्यवाही के आप स्वयं जिम्मेदार होंगे, समारोह में डा० हरिओम शर्मा, डा० रमेश चन्द्र उपाध्याय, डा० बहादुर अली, डा० अहमद अली, डा० जीना अर्शाद आदि उपस्थित थे।

फतेहपुर— गुरुवार को बोर्ड ऑफ इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिसिन, के जनपदीय कार्यालय में इलेक्ट्रो होम्योपैथी के जनक डा० कार्ट सौजर मैटी का 215 वां जन्मोत्सव धूम-धाम से मनाया गया कार्यक्रम का शुभारंभ पूर्व सूबेदार मेजर उ०प्र० पुलिस हाजी अनीस उल्लाह एवं प्रमारी अधिकारी ई० एच० डा० वकील अहमद ने डा० कार्ट सौजर मैटी के चित्र पर माल्यार्पण कर किया, अतिथियों को डा० वकील अहमद ने बताया कि डा० कार्ट सौजर मैटी का जन्म इटली देश के बोलेगना शहर में 11 जनवरी, 1809 को हुआ था, वह जमींदार परिवार के अमीर व्यक्ति थे लेकिन उनकी जमींदारी में तनाम गरीब लोग भी थे जो अपना इलाज भी समय से नहीं कर सकते थे, वह सब देखकर डा० मैटी ने चिकित्सा को सहायता का उद्देश्य बनाया, इस तरह से 1865 में इलेक्ट्रो होम्योपैथी चिकित्सा विज्ञान का आविष्कार हुआ प्रमारी अधिकारी ने सभी इलेक्ट्रो होम्योपैथी चिकित्सकों से कहा कि वह बिना जिला पंजीयन के चिकित्सा सेवा कार्य न करें क्योंकि यह शासन व बोर्ड की मंशा के अनुरूप नहीं है, इस अवसर पर श्री कृष्ण आदर्श विद्या मंदिर दिव्यांग आर्यसैन्य विद्यालय के प्रबंधक श्री सीताराम यादव, डा० हरिप्रसाद, डा० कमल सिंह, डा० धेतन यादव, मंगा प्रसाद, मोहम्मद जाहिर, राजकरण, अनुज कुमार, भारत कुमार आदि एवं क्षेत्र के सम्भारता नागरिकों ने भी उपस्थिति दर्ज करायी।

बैरबल्लखण्ड में जिला डा० अरुण अरुण द्वारा प्रो० १०/१/२०२४ व वरतन क ठाकर, जूरी, कानपुर-208014 ने मूला से निवेदन हुआ कि डा० कार्ट सौजर मैटी का 215 वां जन्मदिन 11/1/2024 को मनाया जाय।

राजस्थान इलेक्ट्रो होम्योपैथी विकास संस्था द्वारा मैटी का 215 वां जन्म दिवस जयपुर में मनाया

राजस्थान— राजस्थान इलेक्ट्रो होम्योपैथी विकास संस्था जयपुर के तत्वाधान में इलेक्ट्रो होम्योपैथी के जन्मदाता डा० कार्ट सौजर मैटी का 215 जन्मदिवस गैलेक्सी होटल इन सीकर रोड नम्बर-9 पर मनाया गया 8/1/2024 बरिष्ठ चिकित्सा डी० आर० राबीर खान ने बताया कि आज के मुख्य अतिथि हवा महल विधानसभा के विधायक माननीय बालमुकुंद आचार्य एवं विशिष्ट अतिथि उ०प्र० के महान चिकित्सा के डा० अनिल कुमार श्रीवास्तव एवं वाई नंबर 7 की पार्श्व संतोष जी थी। इस कार्यक्रम में पूरे राजस्थान से सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने भाग लिया एवं सभी आगंतु चिकित्सकों का सम्मान किया गया मुख्य अतिथि ने दीप प्रज्वलित करके कार्यक्रम का शुभारंभ किया आज आकर्षण का केंद्र डा० अनिल कुमार श्रीवास्तव रहे आपने विस्तार से इलेक्ट्रो होम्योपैथी के बारे में बताया लोगों को इलाज करने की ओर प्रेरित किया तथा राजस्थान सरकार के चिकित्सा मंत्री माननीय डा० प्रेमचन्द जी बेरवा से अनुरोध किया कि पूर्व में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार जिसके चिकित्सा मंत्री कालीधरण शराव साहब ने बिल को पास करके कानूनी जामा पहनाने का काम किया कि वह बोर्ड गठित करके इस पैथी को और पैथियों की तरह चिकित्सा करने का मौका दें जिसमें राजस्थान इलेक्ट्रोपैथी विकास संस्था के संरक्षक डा० किशन रक्षावत संस्था के अध्यक्ष डा० पवन कुमार अग्रवाल उपाध्यक्ष जनार्दन सिंह महासचिव आजाद सिंह सचिव जितेंद्र उपाध्यय कोषाध्यक्ष हरफूल चौधरी, धनरयाम शर्मा जी, मल्लिका तरलीम आदि प्रमुख अधिकारी एवं इस कार्यक्रम में चिकित्सकों का सम्मान किया गया जिसमें मोमेंटो एवं प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया, डा० अनिल श्रीवास्तव द्वारा उपस्थित चिकित्सकों को पाइल्स, कॅसर, अस्थमा, ओवरी सिस्ट से सम्बन्धित औषधियों के कार्यों पर 2 घण्टे चर्चा की और दवा खोज बताया, चिकित्सकों के सवालों पर भी विस्तृत जवाब दिया।

अधिकारिता दिवस के समाचार

रायबरेली— इलेक्ट्रो होम्योपैथी एक अधिकार प्राप्त चिकित्सा पद्धति है, आशीष इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिकल इन्स्टीट्यूट के प्राचार्य डा० पी० एन० कुशवाहा ने 12वां अधिकारिता दिवस के शुभ अवसर पर अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि उ०प्र० शासन द्वारा 4 जनवरी 2012 को चिकित्सा विज्ञान अनुभाग द्वारा उक्त आदेश जारी किया जा चुका है, अधिकारिता दिवस में डा० आर० के० द्विवेदी जिला प्रमारी अधिकारी ने कहा जो चिकित्सक इलेक्ट्रो होम्योपैथिक विद्या से कार्य कर रहे थे अपना जिला पंजीयन करा कर ही प्रैक्टिस करें, इस अवसर पर डा० त्रिलोक सिंह ने कहा कि सभी इलेक्ट्रो होम्योपैथिक के चिकित्सक अपने-अपने दफ्तरखाने में साइन बोर्ड लगाकर अपनी योग्यता, पंजीकरण, जिला स्तरीय पंजीकरण अवश्य अंकित करावें, इस अधिकारिता कार्यक्रम में उपस्थित चिकित्सक डा० रामआसरे, डा० अश्वनी बाबू, डा० लालता, डा० राजेन्द्र सिंह, डा० रावेन्द्र कुमार, श्रीकृष्ण, डा० राव विशाल मौर्य, डा० रिकू आदि ने भाग लिया।

कानपुर देहात— इलेक्ट्रो होम्योपैथिक जिला कार्यालय, कानपुर देहात में प्रमारी अधिकारी ई० एच० डा० रश्मी ने डा० कार्ट सौजर मैटी के चित्र पर माल्यार्पण कर अधिकारिता दिवस कार्यक्रम की शुरुआत किया, अधिकारिता दिवस के अवसर पर आए हुए सभी लोगों को अवगत कराया गया कि उ०प्र० शासन में बोर्ड ऑफ इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिसिन, उ०प्र० लखनऊ को एक शासनादेश में बोर्ड को चिकित्सक, शिक्षा, अनुसंधान एवं कार्य करने की अनुमति दी गयी है, प्रमारी अधिकारी ने बताया कि बोर्ड से सम्बन्धित चिकित्सक बिना जिला पंजीयन के चिकित्सा सेवा कार्य न करें, क्योंकि यह बोर्ड एवं शासन की मंशा के अनुरूप नहीं है तथा यह कानून की अवमानना है



चौद पार इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिकल इन्स्टीट्यूट आजमगढ़ में 215 वें जन्मोत्सव की एक झलक



इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिकल इन्स्टीट्यूट शाहजहांपुर में बोर्ड ऑफ इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिसिन, उ०प्र० लखनऊ के प्रबन्धक कमेटी के सदस्य डा० आगिर बिन साबिर द्वारा मैटी के 215 वें जन्मोत्सव पर केक काटा गया एवं रंगारंग कार्यक्रम का भी आयोजन हुआ।

जिसके लिए उचित कार्यवाही की जा सकती है।

फतेहपुर— बोर्ड ऑफ इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिसिन उ०प्र० लखनऊ के जनपद कार्यालय फतेहपुर में अधिकारिता दिवस मनाया गया, जिला प्रमारी अधिकारी ई० एच० डा० वकील अहमद व पूर्व सूबेदार मेजर उ०प्र० पुलिस हाजी अनीस उल्लाह सिद्दीकी ने इलेक्ट्रो होम्योपैथिक के जनक डा० कार्ट सौजर मैटी के चित्र पर माल्यार्पण कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया, कार्यक्रम में उपस्थित लोगों को प्रमारी अधिकारी ने बताया कि उ०प्र० शासन ने बोर्ड ऑफ इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिसिन, उ०प्र० लखनऊ को इसी एतिहासिक तिथि 04-01-2024 को एक शासनादेश जारी किया था, इस शासनादेश में बोर्ड को चिकित्सा, शिक्षा, अनुसंधान एवं कार्य करने की अनुमति प्रदान की गई जिसे हम सभी अधिकारिता दिवस के रूप में मनाते हैं, डा० अहमद ने बताया कि बोर्ड एवं शासन के आदेशानुसार बोर्ड की चिकित्सक बिना जिला पंजीयन के चिकित्सा सेवा न करें, बिना पंजीयन के चिकित्सा करते हुए पाये जाने पर उचित कार्यवाही की जाएगी, बोर्ड भी जानकारी के लिए जनपद कार्यालय में सम्पर्क करें।

हमने समय का हर पल इलेक्ट्रो होम्योपैथी के विकास के लिये —प्रथम पेज से आगे

अपने स्तर से अपने अधीनस्थ को निर्देशित करें कि 4 जनवरी, 2012 के आदेश का क्रियान्वयन सुनिश्चित करें, बोर्ड के इस निवेदन पर महानिदेशक ने ध्यान दिया और 02 सितम्बर, 2013 को एक पत्र समस्त अपर निदेशकों को सम्बोधित करते हुए लिखा कि वे प्रदेश सरकार द्वारा बोर्ड ऑफ इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिसिन, उ०प्र० के लिए जारी किये गये 4 जनवरी, 2012 के शासनादेश का परिचालन करायें, इसकी प्रति समस्त मुख्य चिकित्साधिकारियों को भी पुष्ठांकित की गई इस आदेश को सभी मण्डलीय अपर निदेशकों को बोर्ड ने भी अपने स्तर से उपलब्ध कराया, इस आदेश की उपलब्धता के उपरान्त भी अधिकांश मुख्य चिकित्सा अधिकारियों ने इस विषय पर गम्भीरता से कार्यवाही नहीं की, फलस्वरूप स्थिति में कोई खास परिवर्तन नहीं हो पाया, प्रदेश में चिकित्सा व्यवसाय करने के लिए माननीय हाईकोर्ट के आदेशानुसार सभी चिकित्सकों को जनपद के मुख्य चिकित्साधिकारी के यहाँ अपने पंजीयन का आवेदन देना था।

चूंकि 4 जनवरी, 2012 का आदेश आ जाने के बाद इलेक्ट्रो होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति भी अधिकार प्राप्त चिकित्सा पद्धति की श्रेणी में आ चुकी है, इसलिये इस विधा के चिकित्सकों ने भी अपने पंजीयन का आवेदन मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय में प्रेषित किये परन्तु कुछ चिकित्सा

अधिकारियों को छोड़कर अन्य चिकित्सा अधिकारियों ने आवेदन लेने में आनाकानी दिखायी परिणाम स्वरूप अधिकार होने के उपरान्त भी अधिकारियों द्वारा लगातार उपेक्षा का क्रम जारी रहा कुछ अधिकारियों ने तो पराकाष्ठा ही पार कर दी, अलीगढ़, हापुड और बुलन्दशहर के चिकित्सा अधिकारियों ने तो बोर्ड की स्वीकारिता को ही नकार दिया और एक ऐसे सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला दिया जो

आदेश पारित ही नहीं हुआ इन सब घटनाओं को देखते हुए बोर्ड ऑफ इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिसिन, उ०प्र० एवं इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिकल एसोसिएशन ऑफ इण्डिया ने संयुक्त रूप से हापुड के मुख्य चिकित्साधिकारी को पत्र लिखकर इस तरह की बातों के बारे में जानकारी चाही तब मुख्य चिकित्साधिकारी ने बड़ी ही यतुराई से यह कह कर अपना पीछा छुड़ाया कि प्रदेश सरकार द्वारा 4 जनवरी, 2012 के आदेश

का उन्हें संज्ञान नहीं है तथा उसकी प्रति बोर्ड से उपलब्ध कराने को कहा तथा साथ ही यह अस्थासन भी दिया कि उनके द्वारा बोर्ड ऑफ इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिसिन, उ०प्र० के चिकित्सकों का पंजीयन के सन्दर्भ में वह उचित कार्यवाही करेंगे।

यद्यपि आज पंजीयन की स्थिति बदल चुकी है अब हर विधा के चिकित्सकों का पंजीयन उनका अपना विभाग कर रहा है और मुख्य चिकित्साधिकारी

केवल एलोपैथी चिकित्सकों के पंजीयन के आवेदन स्वीकार कर रहे हैं, शासनादेश के अनुपालन में अब इलेक्ट्रो होम्योपैथिक चिकित्सकों का पंजीयन बोर्ड ऑफ इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिसिन, उ०प्र० द्वारा नियुक्त जिला प्रभारी/क्षेत्रीय अधिकारी द्वारा सुचारु रूप से किया जा रहा है, परिस्थितियाँ और समय बदल रहा है एक तरफ तो हम मान्यता की तरफ बढ़ रहे हैं वहीं दूसरी तरफ हम अपने कार्य के प्रति गम्भीर भी नहीं दिख रहे हैं, कभी-कभी तो ऐसा लगने लगता है कि आखिर हमारे साथियों को हो क्या गया है वे पहले ऐसे तो नहीं थे, इनकी सोच आखिर इतनी दुर्बल क्यों हो गयी है! इन्हीं सब बातों को देखते हुए बोर्ड ऑफ इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिसिन, उ०प्र० ने प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्य नाथ जी के गृह जनपद गोरखपुर में इलेक्ट्रो होम्योपैथी के अनेक कैंम्प भी अपने अनुमती चिकित्सकों की देख रेख में आयोजित कराये, यह प्रदेश सरकार के भी संज्ञान में है।

जब सरकार लगभग हर विषय पर सकारात्मक निर्णय ले रही है तब जन हित में प्रदेश के हजारों इलेक्ट्रो होम्योपैथी के चिकित्सकों के हितों को ध्यान में रखते हुए कोई ऐसा निर्णय ले जो इन इलेक्ट्रो होम्योपैथी के चिकित्सकों को भी शासकीय सेवा का अवसर मिल जाये जो कि दूरगामी होने के साथ-साथ हजारों चिकित्सकों के लिये हितकारी भी हो।



भारत के उपराष्ट्रपति महामहिम श्री जगदीप धनकड़ जी मैटी के सम्मुख दीप प्रज्वलित कर सेमिनार का शुभारम्भ करते हुये साथ में राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री भजन लाल शर्मा जी



भारत के उपराष्ट्रपति महामहिम श्री जगदीप धनकड़ जी जयपुर में इलेक्ट्रो होम्योपैथिक सेमिनार में उपस्थित जन समूह को सम्बोधित करते हुये